(26)



# उत्तर प्रदेश शासन

## वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग—3

संख्या बी–3–3389/दस–2002–2(41)-77–ब्याज

लखनऊ, दिनांक 23 अक्टूबर, 2002

## कार्यालय – ज्ञाप

राज्य कर्मचारियों को देय अग्रिमों पर निर्धारित ब्याज की दरों से सम्बन्धित कार्यालय ज्ञाप संख्या बी-3-1748/ दस-98-2(41)-77-ब्याज, दिनांक 02 मई, 1998 तथा कार्यालय ज्ञाप संख्या बी-3-729/दस–2001–2(42)–77–ब्याज, दिनांक 24 अप्रैल, 2001 के आंशिक संशोधन में अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि दिनांक 16-12-1997 से 31-03-2001 तक, दिनांक 01-04-2001 से 31-03-2002 तक एवं दिनांक 01-04-2002 से अग्रिम आदेशों तक राज्य कर्मचारियों एवं अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को स्वीकृत किये गये भवन निर्माण/क्रय/मरम्मत एवं विस्तार अग्रिम पर ब्याज की दरें अन्तिम रूप से निम्नवत् होंगी :–

**क–राज्य कर्मचारियों को स्वीकृत भवन निर्माण/क्रय/मरम्मत एवं विस्तार अग्रिम पर ब्याज दर :–**

| क्र० सं० | स्वीकृत अग्रिम की राशि | ब्याज दर दिनांक 16-12-1997 से 31-03-2001 तक | ब्याज दर दिनांक 01-04-2001 से 31-03-2002 तक | ब्याज दर दिनांक 01-04-2002 से अग्रिम आदेशों तक |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | रुपये 50,000 तक | 11.0 प्रतिशत | 10.0 प्रतिशत | 9.5 प्रतिशत |
| 2 | रुपये 1.50 लाख तक | 12.5 प्रतिशत | 11.5 प्रतिशत | 11.0 प्रतिशत |
| 3 | रुपये 2.50 लाख तक | 14.5 प्रतिशत | 13.5 प्रतिशत | 13.0 प्रतिशत |

**ख–अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को स्वीकृत भवन निर्माण/क्रय/मरम्मत एवं विस्तार अग्रिम पर ब्याज दर :–**

| क्र० सं० | स्वीकृत अग्रिम की राशि | ब्याज दर दिनांक 16-12-1997 से 31-03-2001 तक | ब्याज दर दिनांक 01-04-2001 से 31-03-2002 तक | ब्याज दर दिनांक 01-04-2002 से अग्रिम आदेशों तक |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | रुपये 50,000 तक | 11.0 प्रतिशत | 10.0 प्रतिशत | 9.5 प्रतिशत |
| 2 | रुपये 1.50 लाख तक | 12.5 प्रतिशत | 11.5 प्रतिशत | 11.0 प्रतिशत |
| 3 | रुपये 5.00 लाख तक | 14.5 प्रतिशत | 13.5 प्रतिशत | 13.0 प्रतिशत |
| 4 | रुपये 7.50 लाख तक | 15.5 प्रतिशत | 14.5 प्रतिशत | 14.0 प्रतिशत |

किन्तु उक्त ऋण/ब्याज के नियमित रूप से प्रतिदान/भुगतान किये जाने पर ब्याज में 3.5 प्रतिशत की छूट दी जायेगी।